न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्या 88 / 2022

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. सम्पराज पुत्र चांदमल जाति महाजन जैन निवासी— चण्डावल हाल निवासी— 101, पी.बी. पारेखटावर, दीवानबलुभाई रोड़, अहमदाबाद 02. सज्जनराम पुत्र सम्पतराज जाति महाजन निवासी— चण्डावल हाल चैन्नई 03. महावीरचंद पुत्र सम्पतराज जाति महाजन जैन निवासी— चण्डावल हाल निवासी 101, पी.बी. पारेखआवर, दीवानबलुभाई रोड़, अहमदाबाद		01. भारत संघ जरिए सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली 02. जिला कलेक्टर पाली 03. भूमि अवाप्ति अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14, फोरलेन (अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, पाली)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

उपस्थितिः—

01. श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक 06/10/22

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण / प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय हाजा में राजस्व वाद संख्या 55 / 2012 का दिनांक 09.04.2012 को प्रस्तुत किया था जो वाद दर्ज किया जाकर बअनवान सम्पतराज व अन्य बनाम भारत संघ विचाराधीन रहा तथा प्रकरण में दिनांक 04.01.2016 को तनकीयात कायम की गई तथा पत्रावली शहादत वादी हेतु नियत रही तथा शहादत वादी में वादी के मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जा चुका है जो पत्रावली पर है। प्रकरण में वादीगण की ओर से पैरवी हेतु अधिवक्ता गोरादान आशिया नियुक्त थे जिनका कोरोनाकाल में कोरोना की वजह से स्वर्गवास हो चुका है जिनके स्वर्गवास की वादीगण को किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं थी तथा उक्त समयावधी वर्ष 2020—2021 में भी सम्पूर्ण भारत वर्ष में कोरोना बीमारी होने से व लॉकडाउन होने से तथा वादीगण वर्तमान में अहमदाबाद व चैन्नई में व्यवसायिक कार्य से निवासरत होने से सोजत आकर सम्पर्क कर प्रकरण की जानकारी प्राप्त नहीं कर सके तथा हस्तगत प्रकरण में दिनांक 28.03.2022 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज करने के आदेश पारित किए गए तथा प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा वादीगण को वर्तमान निवास पते पर किसी प्रकार की कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई न ही वादीगण को अपने अधिवक्ता के स्वर्गवास होने की कोई जानकारी थी, इसलिए प्रकरण में वादीगण द्वारा जानबुझकर न्यायालय में उपस्थित होने में किसी प्रकार की उपेक्षा व लापरवाही नहीं की है न ही न्यायालय हाजा द्वारा वादीगण को जारी नोटिसेज की सम्यक सूचना हुई है तथा न्यायालय आदेशिका दिनांक 28.03.2022 अनुसार भी वादीगण को जारी नोटिसेज अपूर्ण पत्ते होने से अदम तामिल लौटे है, जिससे भी यह स्पष्ट है कि वादीगण को प्रकरण मे उपस्थिति होने बाबत् कोई जानकारी नहीं रही है। वादीगण इसी सदविश्वास में रहे कि

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

अधिवक्ता द्वारा सूचना प्राप्त होने पर साक्ष्य हेतु उपस्थित रहेंगे तथा फरवरी 2022 में पुनः लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात् वादीगण अपने व्यावसायिक कार्य में व्यस्त रहने तथा वादी संख्या 01 अत्याधिक बीमार होने से प्रकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त नही कर सके, अभी वर्तमान में दिनांक 11.05.2022 को वादीगण द्वारा अपने व्यवसायिक स्थल से अपने पैतृक गांव चण्डावल आए तथा उसी दिन न्यायालय में प्रकरण के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु न्यायालय परिसर आए, जहां पर वादीगण को ज्ञात हुआ कि उनके द्वारा नियुक्त अधिवक्ता गोरादान आशिया का स्वर्गवास हो चुका है, जिस पर वादीगण द्वारा न्यायालय में सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि दिनांक 28.03.2022 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया जिस पर वादीगण द्वारा दिनांक 12.05.2022 को प्रकरण की पत्रावली की सम्पूर्ण आदेश तालिका की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी में आया कि दिनांक 28.03.2022 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर दिया गया इससे पूर्व वादीगण को आदेश दिनांक 28.03.2022 की किसी प्रकार से कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी प्राप्त होते ही व प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होते ही बिना किसी विलम्ब के उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य करने हेतु धारा 05 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पृथक से प्रस्तुत है।

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 55/2012 बअनवान सम्पतराज बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 28.03.2022 को अपास्त कर मूल वाद को पुनः प्रत्यावर्तित कर प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने का आदेश पारित करने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रा0 पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद तामिली सूचना बार-बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया है कि समयावधी वर्ष 2020-2021 में भी सम्पूर्ण भारत वर्ष में कोरोना बीमारी होने से व लॉकडाउन होने से तथा वादीगण वर्तमान में अहमदाबाद व चैन्नई में व्यवसायिक कार्य से निवासरत होने से सोजत आकर सम्पर्क कर प्रकरण की जानकारी प्राप्त नहीं कर सके तथा हस्तगत प्रकरण में दिनांक 28.03.2022 को वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज करने के आदेश पारित किए गए तथा प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा वादीगण को वर्तमान निवास पते पर किसी प्रकार की कोई सूचना प्रेषित नहीं की गई न ही वादीगण को अपने अधिवक्ता के स्वर्गवास होने की कोई जानकारी थी, इसलिए प्रकरण में वादीगण द्वारा जानबुझकर न्यायालय में उपस्थित होने में किसी प्रकार की उपेक्षा व लापरवाही नहीं की है न ही न्यायालय हाजा द्वारा वादीगण को जारी नोटिसेज की सम्यक सूचना हुई है तथा न्यायालय आदेशिका दिनांक 28.03.2022 अनुसार भी वादीगण को जारी नोटिसेज अपूर्ण पत्ते होने से अदम तामिल लौटे है, जिससे भी यह स्पष्ट है कि वादीगण को प्रकरण मे उपस्थिति होने बाबत् कोई जानकारी नहीं रही है। जिससे राजस्व मूल वाद संख्या 55/2012 बअनवान सम्पतराज बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 28.03.2022 को अपास्त कर मूल वाद को पुनः प्रत्यावर्तित कर प्रार्थीगण को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने का आदेश पारित करने की ईस्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ पत्र एवं दस्तावेजात, का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रा0 पत्र वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्य युक्ति युक्त है। लिहाजा न्याय निर्णय हेतु प्रकरण में प्रार्थीगण को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करना न्यायोचित प्रतित होता है। लिहाजा अधिवक्ता मय प्रार्थीगण द्वारा प्रा0 पत्र के संलग्न प्रस्तुत समस्त दस्तावेजो, तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत प्रा0 पत्र स्वीकार की जाकर मूल वाद 55/2012 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2022 को जारी आदेश प्रत्यावर्तित किया जाना उचित समझते है।

—: आदेश :—

अतः अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाता है। राजस्व मूल वाद संख्या 55/2012 बअनवान सम्पतराज बनाम भारत संघ में पारित आदेश दिनांक 28.03.2022 को अपास्त कर मूल वाद को पुनः प्रत्यावर्तित किया जाता जाता है। मूल वाद पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को जरिए सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 06/10/22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)